<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।</u>

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-09/2024 **दिनांक 11/09/2024**

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,

वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

अपने पत्र संख्या़ःवीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांकःजून 04,2020 व पत्र संख्याः41/6-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 10.09.2024** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

<u>01. स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना भांवरकोल पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 02 अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर को 640 किलोग्राम (6.40 कुन्तल) नाजायज गांजा कीमत लगभग कुल 01 करोड़ 60 लाख रुपये व 01 अदद वाहन टाटा माडल 1109H Ex2 कंटेनर 06 पहिया फर्जी नम्बर प्लेट के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 09/09/2024 को थानाध्यक्ष भांवरकोल द्वारा मय हमराहियान के साथ **पूर्वाचंल एक्सप्रेस वे एक्जिट प्वाइंट पर** संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, कि उसी समय **प्रभारी स्वाट /सर्विलांस टीम** को मुखबिर खास की सूचना पर कि बिहार की तरफ से एक वाहन टाटा माडल 1109H Ex2 6_आ रही है जिसमें भारी मात्रा में अवैध गांजा है, यदि जल्दी किया जाये तो मय माल के पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर पूर्वाचंल एक्सप्रेसवे **एक्जिट प्वाइंट** पर मौजूद थानाध्यक्ष भांवरकोल को अवगत कराकर टोल प्लाजा के पास उक्त वाहन को संयुक्त पुलिस बल द्वारा हिकमत अमली से रोकवाकर उसमें बैठे **02 व्यक्तियो** को समय करीब **16.30 बजे** पकड़ लिया गया। जिनके कब्जे से **वाहन में लदा 640 किलोग्राम (6.40 कुन्तल) नाजायज गांजा व फर्जी नम्बर प्लेट लगी 06 पहिया कंटेनर वाहन, टाटा माडल- 1109H Ex2** बरामद किया गया। उक्त दोनो अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 139/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 319(2),318(4),338,336(3) बीएनएस** पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

पकड़े गये अभियुक्तो से कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि इस कन्टेनर में फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर, बोरियो के गट्ठर में प्लास्टिक के कैरटो से ढ़ककर गांजा छिपाकर तेजपुर

रोड असम से लाकर कुड़ेभार जनपद सुल्तानपुर उ0प्र0 में बिक्री हेतु ले जा रहे थे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1.विष्णु पाठक पुत्र दीनानाथ पाठक ग्राम वीरसिंहपुर थाना राजातालाब जनपद वाराणसी उम्र 32 वर्ष

2.रविशंकर पाठक पुत्र दीनानाथ पाठक ग्राम वीरसिंहपुर थाना राजातालाब जनपद वाराणसी उम्र 30 वर्ष।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 1 39/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 319(2),318(4),338,336(3) बीएनएस थाना भांवरकोल जनपद गाजीपुर

2.मु0अ0सं0 139/20218 धारा 366 भादवि थाना मोतिगरपुर जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी

1. 20-20 किलो के कुल 28 बोरियों में तथा 40-40 किलो के 02 बोरी में (कुल वजन 6 कुन्तल 40 किग्रा अवैध गांजा जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ 60 लाख रुपये)

2.एक अदद छः पहिया वाहन माडल टाटा 1109H Ex2

3.फर्जी वाहन रजिस्ट्रेशन कागजात के फाइल

4. एक अदद मोबाइल Infinix X6525 गोल्डेन कलर

02. थाना मरदह पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 109/2024 धारा 323,504,506,452,354,376 भादवि से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 10.09.2024 को उ0नि0 श्री मो0 सैफ व हे0का0 बिन्दू प्रसाद के रात्रिगश्त ,संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की चेकिंग,दबिश तलाश वाछिंत वारण्टी हेतु मे ग्राम तांती में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मु0अ0स0 109/2024 धारा 323,504,506,452,354,376 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त राकेश पाण्डेय अपने घर पर ग्राम भीखमपुर बिरोहिया में मौजूद है इस सूचना पर उपरोक्त पुलिस बल उपरोक्त द्वारा अभियुक्त राकेश पाण्डेय के घर ग्राम भीखमपुर बिरोहिया एक बारगी मौके पर पहुच कर नियमानुसार अभियुक्त राकेश पाण्डेय पुत्र जगतनारायण पाण्डेय 46 वर्ष निवासी ग्राम भीखमपुर बिरोहिया थाना मरदह जनपद गाजीपुर को समय करीब 02.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

01.राकेश पाण्डेय पुत्र जगत नारायण पाण्डेय निवासी ग्राम भीखमपुर बिरोहिया थाना मरदह जनपद गाजीपुर उम्र 46 वर्ष।

गिरफ्तारी का दिनांक व समयः- दिनांक 10.09.2024 समय 02.10 बजे

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

01.मु0अ0स0 109/2024 धारा 323,504,506,452,354,376 भादवि थाना मरदह जनपद गाजीपुर।

पुलिस अधीक्षक

गाजीपुर